न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 01/2020
RCMS Case Reg. 2020/00011

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)। –प्रार्थी

बनाम

श्री मानसिंह पिता वेस्ता भील निवासी भवानपुरा तहसील व जिला बांसवाड़ा –प्रत्यर्थी

भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस

निर्णय

दिनांक :– 26–10–2020

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, बांसवाड़ा द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेंस का प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया कि सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 तहसील बांसवाड़ा के राजस्व ग्राम बांसवाड़ा के खसरा संख्या 1394 रकबा 18.11 किस्म भूमि गैर मुमकीन नदी सिवायचक श्रीसरकार अंकित है। उक्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खसरा नं. 2584/ 1394 रकबा 0.09 बिघा भूमि किस्म नदी अप्रार्थी के नाम दर्ज किया रेकार्ड है। जो राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज नदी/नाला/झील/तलाब/नाली/तलाई/जलाशयो की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त आराजी नंबर के खातेदारी अधिकारी व उक्त भूमि से उद्भूत समस्त अधिकार काबिल निरस्ती योग्य है।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.10.28 10:42:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 वाके ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नंबर 1394 रकबा 18.11 बिघा भूमि किस्म नदी श्रीसरकार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2033–36 में आराजी नंबर 2584/1394 रकबा 0.09 बिघा श्री कोदर, हुरजी पिता विठला निवासी लोघा के नाम दर्ज हुई। उसके उपरांत विरासत से नाथी बेवा कोदर, गंगा कंकु पिता कोदर, गौतम, नाथु पिता हुरजी, कंकु बेवा नारायण, गणेश, हीरा, पवन पिता नारायण व रंगी बेवा हुरजी निवासी लोधा के नाम जमाबन्दी संवत् 2050–53 में दर्ज हुआ। जरिये विक्रय नामान्तरकरण संख्या 2919 दिनांक 29.01.2008 से अप्रार्थी श्री मानसिंह पिता वेस्ता के नाम दर्ज हुआ। जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भी यथावत दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से बाधित भूमि जो आरम्भ से ही शून्य है तथा इस प्रकार की भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी सिविल जनहित याचिका संख्या 1530/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी यही व्यवस्था दी है कि राजस्व रेकार्ड में दिनांक 15.08.1947 में दर्ज गैर मुमकिन नाला/नाली/नदी है। जो कि आवंटन/नियमन से बाधित भूमि है। अतः वर्जित किस्म की भूमि होने के कारण रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर उक्त ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नं 2584/1394 रकबा 0.19 बिघा खातेदार श्री मानसिंह पिता वेस्ता भील निवासी भवानपुरा के निजी खातेदारी/अधिकार को वापस निरस्त की जाकर सरकारी दर्ज किए जाने निवेदन किया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किए गए। विपक्षी को जारी नोटिस पूर्ण पता अंकित नहीं होने के कारण अदम तामिल प्राप्त हुए। तहसीलदार, बांसवाड़ा को विपक्षी का पूर्ण पता प्राप्त कर नोटिस तामिल कराने प्रेषित करने पर भी नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुए। ऐसी स्थिति में प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्याय संगत नहीं होने के कारण प्रकरण को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.10.28 10:42:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आदेश

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में रेफरेंस का यह प्रकरण तहसीलदार, बांसवाड़ा को प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रकरण में विपक्षी का पूर्ण पता अंकित करते हुए रेफरेंस प्रकरण तैयार कर अधिकतम एक माह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रकरण प्रस्तुत नहीं करने पर समस्त जिम्मेदारी तहसीलदार, बांसवाड़ा की होगी।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.10.28 10:42:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner